दिनांक	आदेश	आदेश के अनुसरण में जारी पत्र की संख्या व तिथि

अपील संख्या : 1959/2012

अपीलकर्ता	प्रत्यर्थी :
श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री ताराचन्द अग्रवाल, निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही (राज0)	सचिव, ग्राम पंचायत, रेवदर, जिला सिरोही (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06-06-2013

1. अपीलार्थी अनुपस्थित ।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री डूंगरसिंह देवड़ा उपस्थित, जिनका तर्क रहा कि सूचना के लिए अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से एवं पट्टा धारकों की सूचना के बाबत एतराज होने से नहीं दी गई।
3. मैंने अपील पत्रावली पर रखे समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी ने दिनांक 01–01–1996 से दिनांक 15–02–2012 तक पंचायत द्वारा रियायती दर व निःशुल्क पट्टों की प्रति चाही है। मैं प्रत्यर्थी के तर्क से सहमत हूँ कि तृतीय पक्षीय पट्टे की प्रति के दुरुपयोग की सम्भावनाओं को देखते हुए दिया जाना लोक हित में नहीं है। परन्तु, प्रत्यर्थी ने किन–किन व्यक्तियों को उक्त पट्टे दिए गए है, उनकी सूची उपलब्ध कराने में कोई प्रतिबंध नहीं है।
5. अस्तु वर्तमान अपील, आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देश दिए जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में उपरोक्त अभिलेखों के आधार पर पट्टों की कुल सूचि बनाकर निःशुल्क बजरिए पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. मेरे हस्ताक्षर एवम् आयोग की मोहर लगाकर आज दिनांक 06–06–2013 को निर्णय किया गया।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त